न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मति रीना छिम्पा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 600/2018

1. स्टेट ऑफ राजस्थान तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरनपुर (राज.)

.......वादी

बनाम

1. लखविन्द्र सिंह उर्फ लखराजसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जटसिख निवासी 9एफएफ तहसील श्रीकरनपुर
2. शमशेर सिंह पुत्र अमरसिंह जाति जटसिख निवासी 9एफएफ तहसील श्रीकरनपुर
3. सुखजिन्द्र सिह पुत्र शमशेरसिंह जाति जटसिख निवासी 9एफएफ तहसील श्रीकरनपुर
4. गुरदेवकौर पत्नि अमरसिंह जाति जटसिख निवासी 9एफएफ तहसील श्रीकरनपुर

......प्रतिवादीगण

अर्न्तगत धारा 136 राजस्थान भू.राजस्व आधिनियम

--निर्णय-- दिनांक : 21/12/18.

1. सक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि चक 9 एफएफ की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के मु.नं 21 ,22 ,23 ,29 ,30 ,31 ,33 ,34 ,35 ,36 ,46 ,47 ,48 ,49 ,63/6,63/8,63/9,63/11,63/13,63/15=67.112 हैक. रकबा लखराजसिंह पुत्र अमरसिंह शमशेरसिंह बगैरह जाति जटसिख निवासी 9 एफएफ के नाम खातेदार राजस्व अभिलेख मे दर्ज है।
2. चक 9 एफएफ जमाबन्दी संवत 2069–72 का खाता संख्या 15 अपवादित है। क्योंकि खाते का योग और सहखातेदारों के हिस्सों के योग में 0.312हैक. का अन्तर चला आ रहा है। सहखातेदारों के हिस्सो का योग 67.424हैक. और खाते का योग 67.112हैक. दर्ज है।
3. जमाबन्दी सवंत 2036 से 2039 खाता संख्या 10 में कुल 265 बीघा 4बिश्वा (5304हिस्सा) दर्ज था, जो सही था और सहखातेदारों का योग भी 5304 ही था। परन्तु इन्तकाल संख्या 43बैयनामा में गुरदेवकौर पत्नि अमरसिंह 20हिस्सा, **लखराजसिंह पुत्र अमरसिंह 20हिस्सा** और इन्तकाल संख्या 50 बैयनामा **अमरसिंह पुत्र करनैलसिंह** 20हिस्सा, **लखराजसिंह पुत्र अमरसिंह 39 1/2हिस्सा** दर्ज हुआ।
   इन्तकाल संख्या 50 में ही कैफियत खाने में **अमरसिंह पुत्र करनैल** सिंह को सुखदेवसिह गुरदेवसिंह द्वारा 50हिस्सा पूर्व में ही बैय होने का नोट अकिंत है, जबकि सुखदेवसिंह गुरदेवसिंह का 50हिस्सा जमाबन्दी में दर्ज ही नही था।
4. इन्तकाल संख्या 50 में ही कैफियत खाने में **अमरसिंह पुत्र करनैल** सिंह को सुखदेवसिह गुरदेवसिंह द्वारा 50हिस्सा पूर्व में ही बैय होने का नोट अकिंत है, जबकि सुखदेवसिंह गुरदेवसिंह का 50हिस्सा जमाबन्दी में दर्ज ही नही था। इस प्रकार अमरसिंह पुत्र करनैलसिंह का 20 हिस्सा के स्थान पर 70 हिस्सा कर दिया गया। जो गलत है और पूर्व में जमाबन्दी सवंत 2036 से 2039 खाता संख्या 10 अमरसिह के पास 239 हिस्सा ही रकबा था। अत : अमरसिंह पुत्र करनैलसिंह 309 हिस्से के स्थान पर 259 हिस्से किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

सरकार बनाम लखविन्द्र सिंह अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

प्रकरण सं0 600/2018

5. जमाबन्दी सवंत 2069 से 72 में **अमरसिंह पुत्र करनैलसिंह फौत** होने पर विरास्तन इन्तकाल दर्ज होने के कारण दस्तबरदारी , दान पत्र तबादला के नामान्तरणकरण दर्ज होने के कारण शमशेरसिह 3.145हैक., लखविन्द्रसिंह उर्फ लखराजसिंह 5.903हैक. पि. अमरसिंह सुखविन्द्रसिंह पुत्र शमशेरसिंह 0.143हैक. दर्ज है।
6. जमाबन्दी सवंत 2041–2044 बनाते समय लखराजसिंह पुत्र अमरसिंह 59 1/5हिस्सा के स्थान पर 39 1/5हिस्सा ही दर्ज कर दिया गया। जो कि गलत दर्ज हुआ है। **अतः लखराजसिंह पुत्र अमरसिंह 39 1/5 हिस्सा के स्थान पर 59 1/5 हिस्सा किया जाना उचित है।**
7. प्रार्थाना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार मे है
8. वादी लैण्ड हौल्डर है एंव राजस्व रिकार्ड का संधारण करता है इसलिए नेकनीयती से वाद पत्र पेश किया जा रहा हैं। वाद पत्र श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा रिकार्ड में त्रुटी का ज्ञान होने के पश्चात अविलम्ब पेश किया जा रहा है।

वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सख्या 1 से 14 की मजमेआम में सुनवाई कर चक 9एफएफ में **लखराजसिंह पुत्र अमरसिंह 39 1/5 हिस्सा 59 1/5 हिस्सा के स्थान पर 59 1/5हिस्सा** , अमरसिंह पुत्र करनैलसिंह 309 हिस्से के स्थान पर 259 हिस्से किया जाना उचित है जो वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज अमरसिंह के वारिसान में से रकबा कम किया जाना है। डीआईएलआरएमपी योजना के अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट के तहत प्रविष्टियों को दरूस्त कर आदेश प्रदान किया जावे ।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 समशेर सिह स्वंय उपस्थित आया। अप्रार्थी संख्या 1 की तलबी भाई से होकर प्राप्त हुई। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की विधिवत रूप से तलबी होकर प्राप्त हुई है अप्रार्थी संख्या 1 की तलबी दोबारा जारी की गयी अप्रार्थी संख्या 1 की तलबी पत्नि पर होकर प्राप्त हुई अप्रार्थी संख्या 1,3,4 की तलबी विधिवतरूप सें हो जाने के बावजुद कोई उपस्थित नही आया। अप्रार्थी संख्या 1,3 व 4 कें विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गयी।

इस संबंध मे पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 9 एफएफ की जमाबंदी सम्वत 2036 ता 39 के खाता संख्या 10 मे कुल 265 बीघा 4 बिस्वा भूमि अर्थात 5304 हिस्सा दर्ज था ओर खातेदारान का योग भी 5304 ही था परन्तु इन्तकाल सं0 43 बैयनामा मे गुरदेव कौर पत्नी अमर सिह 20 हिस्सा, लखराज सिह पुत्र अमर सिह 20 हिस्सा व इन्तकाल संख्या 50 बैयनामा मे अमर सिह पुत्र करनैल सिह 20 हिस्सा दर्ज हुआ। परन्तु इन्तकाल संख्या 50 बैयनामा मे ही 50 हिस्सा अमर सिह पुत्र करनैल सिह को सुखदेव सिह, गुरदेव सिह के द्वारा दर्ज होना बताया है। जबकि जमाबंदी मे गुरदेव,सुखदेव के नाम 50 हिस्सा ही दर्ज नही था ओर कैफियत मे उक्त रकबा पूर्व मे बैय होकर आना बताया। जमाबंदी सम्वत 2041 ता 44 बनाते समय लखराज सिह पुत्र अमर सिह 59 1/5 हिस्सा के स्थान पर 39 1/5 हिस्सा दर्ज कर दिया व अमर चंद पुत्र करनैल सिह 239 हिस्सा व अमर सिह पुत्र करनैल सिह 20 हिस्सा के स्थान पर 70 हिस्सा दर्ज कर दिया। अमर सिह पुत्र करनैल सिह 259 हिस्सा के स्थान 309 हिस्सा दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबंदी मे अमर सिह पुत्र करनैल सिह के विरास्तन इन्तकाल दर्ज होने के पश्चात दस्तबदारी दान पात्र, तबादला के नामान्तरण दर्ज होने पर उक्त हिस्सा शमशेर सिह 3.145 हैक्टर, लखविन्द्र सिह उर्फ लखराज सिह 5.903 हैक्टर पिसरान अमर सिह, सुखजिन्द्र सिह

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

पुत्र शमशेर सिह 0.143 हैक्टर के नाम दर्ज है। रकबा मे अन्तर इन्तकाल संख्या 50 के कारण है उक्त रिकार्ड के अनुसार यह निष्कर्ष निकलता है कि अमर सिह के वारिसान का रकबा 0.312 हैक्टर कम करने पर खातेदार व खाते का रकबा समान हो जायेगा।

सरकार बनाम लखविन्द्र सिंह अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

प्रकरण सं0 600/2018

अप्रार्थी संख्या 1,3,4 की तलबी विधिवत रूप से हुई एवं अप्रार्थी संख्या 2 स्वंय उपस्थित आया। अप्रार्थी 1,3,4 बावजूद तामील उपस्थित नही आये। पैरोकार राज के द्वारा निवेदन किया कि यह त्रुटि इन्तकाल संख्या 50 दर्ज करने के बाद की है जो कि सहवन से हुई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र मे अंकित अनुसार प्रविष्टियो को दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार चक 9 एफएफ की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 15 मे खाते का योग एवं सहखातेदारो हिस्से के योग मे 0.312 हैक्टर का अन्तर चला आ रहा है। जमाबंदी सम्वत 2036 ता 39 मे खाता का योग एवं सहखातेदारो का योग समान था। रिपोर्ट पटवारी के अनुसार जमाबंदी संवत 2041 ता 44 बनाते समय लखराज सिंह पुत्र अमर सिंह के नाम 59–1/5 हिस्सा के स्थान पर 39–1/5 हिस्सा दर्ज कर दिया व अमरचंद पुत्र करनैल सिंह 239 हिस्सा व अमर सिंह पुत्र करनैल सिंह 20 हिस्सा के स्थान पर 70 हिस्सा दर्ज कर दिया। अतः अमर सिंह पुत्र करनैल सिंह 259 हिस्सा के स्थान पर 309 हिस्सा दर्ज कर दिया। जिसे सही किया जाना उचित है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 9एफएफ की जमाबंदी सम्वत 2041 ता 44 में अंकित लखराज सिंह पुत्र अमर सिंह 39–1/5 हिस्सा के स्थान पर 59–1/5 हिस्सा व अमर सिंह पुत्र करनैल सिंह के नाम दर्ज 309 हिस्सा के स्थान पर 259 हिस्सा दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। इसी अनुसार जमाबंदी संवत 2069 ता 72 के खाता सं0 15 में अंकन किया जावे।

उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। यह आदेश राज्य सरकार की डी.आई.एल.एम.पी योजना के अन्तर्गत जारी किया गया है। इस संबंध मे या इस भूमि के संबंध मे यदि किसी न्यायालय का कोई आदेश या स्थगन आदेश होगा ओर इस भूमि बाबत यदि किसी न्यायालय मे कोई प्रकरण विचाराधीन होगा तो यह आदेश उस न्यायालय के आदेश या स्थगन आदेश या विचाराधीन प्रकरण के निर्णय के अध्याधीन रहेगा। आदेश इस आशय का तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।,

निर्णय आज दिनांक..21.12.18....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

श्रीमति रीना छिम्पा {आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner